**प्रेस नोट दिनांक 30.04.2026**

**थाना क्योलड़िया जनपद बरेली**

**दुष्कर्म प्रकरण में एक घायल सहित दोनों आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ में थाना क्योलड़िया #bareillypolice द्वारा किया गया गिरफ्तार, अवैध असलाह व मोटरसाइकिल बरामद।**

थाना क्योलड़िया पुलिस ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले दोनों आरोपियों को रात्रि में पुलिस मुठभेड़ में सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी गोली लगने से घायल हो गया।

**घटना का संक्षिप्त विवरण/परिचयः-**

थाना क्योलड़िया क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ दो युवकों साकिब और मुनीस द्वारा बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने की घटना दिनांक 28.04.2026 को मु0अ0सं0 154/2026 धारा 137(2)/70(2) बीएनएस एवं 5G/6 पॉक्सो एक्ट के तहत पंजीकृत हुई थी। दिनांक 29.04.2026 को सूचना प्राप्त हुई कि दोनों आरोपी वादी को मुकदमा वापस लेने के लिए तमंचा दिखाकर धमकी दे रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल दोनों आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी।

**सूचना एवं कार्यवाहीः-**

दिनांक 29.04.2026 की रात्रि लगभग 11:00 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि दोनों आरोपी ग्राम मधुनंगला के मंदिर के पास बाइक व हथियारों के साथ खड़े हैं। पुलिस टीम द्वारा जैसे ही उनकी घेराबंदी की गई, दोनों आरोपी पुलिस को देखते ही स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से तेजी से भागने लगे। भागते समय कच्चे रास्ते पर उनकी बाइक असंतुलित होकर गिर गई।

इस दौरान एक आरोपी ने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस टीम द्वारा न्यूनतम जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें आरोपी साकिब के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। घायल आरोपी को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-**

1. साकिब पुत्र मो0 शहीद उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम केलाडांडी थाना क्योलड़िया जनपद बरेली
2. मुनीस पुत्र रामबहादुर उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम केलाडांडी थाना क्योलड़िया जनपद बरेली

**बरामदगी का विवरणः-**

एक तमंचा .315 बोर

एक खोखा कारतूस एवं एक जीवित कारतूस .315 बोर

एक अवैध चाकू

एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल

**घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग का विवरणः-**

मु0अ0सं0 154/2026 धारा 137(2)/70(2) बीएनएस व 5g/6 पाक्सो एक्ट

मु0अ0सं0 155/26 धारा 109(1)3(5) बीएनएस व 4/25/27 आर्म्स एक्ट **(पुलिस मुठभेड़)**

**पूछताछ विवरणः-**

पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने बताया कि उन्होंने पीड़िता को बहला-फुसलाकर जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था तथा बाद में मुकदमा वापस लेने हेतु धमकाया।

**पुलिस टीम का विवरणः-**

1. प्रभारी निरीक्षक वेद सिंह थाना क्योलड़िया जनपद बरेली
2. व0उ0नि0 देशराज सिंह थाना क्योलड़िया जनपद बरेली
3. उ0नि0 मुकेश कुमार थाना क्योलड़िया जनपद बरेली
4. उ0नि0 राजेन्द्र सिंह थाना क्योलड़िया जनपद बरेली
5. हे0कां0 नवीन कुमार थाना क्योलड़िया जनपद बरेली
6. हे0कां0 रामनिवास थाना क्योलड़िया जनपद बरेली
7. कां0 राजीव कुमार थाना क्योलड़िया जनपद बरेली
8. कां0 सचिन कुमार थाना क्योलड़िया जनपद बरेली
9. कां0 दिलदार थाना क्योलड़िया जनपद बरेली
10. कां0 लकी सोलंकी थाना क्योलड़िया जनपद बरेली